मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

कमांक 2897/3136/2017/ई/चार :– राज्य शासन एतद् द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) को सायबर कोषालय का उपयोग करते हुए, शासन के पक्ष में राशि रूपये 10000/– तक की राशि के चालान जमा करने हेतु निम्न शर्तो के साथ अधिकृत किया जाता है :–

1. शासकीय कोष में राशि जमा करने के लिए प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) से जुड़े समस्त नागरिक सुविधा केन्द्रो के माध्यम से भी नागरिकों द्वारा www.mptreasury.org पर सायबर कोषालय की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
2. प्रदेश में स्थापित नागरिक सुविधा केन्द्र में रूपये 10000/– (रूपये दस हजार) की सीमा तक शासन के खाते में जमा होने वाली राशि नागरिकों से प्राप्त कर नागरिकों की ओर से, वेबसाईट www.mptreasury.org पर सायबर कोषालय में जमा कर सकेंगे। नागरिक सुविधा केन्द्र इस हेतु सायबर कोषालय के पेमेंट गेटवे का ही उपयोग करेंगे तथा जमा राशि की रसीद का प्रिंट (चालान) नागरिकों को उपलब्ध करायेंगे। रसीद पर ऐजेन्सी बैंक द्वारा जारी चालान पहचान संख्या (CIN) तथा सायबर कोषालय द्वारा प्रदत्त चालान संख्या दर्ज होगी। नागरिक सुविधा केन्द्र द्वारा जारी उक्त रसीद तब तक, राशि के शासन के खाते में जमा होने का प्रमाण नहीं होगी जब तक उस पर चालान संख्या दर्ज न हो। CIN या चालान संख्या के आधार पर चालान की प्रति वेबसाईट www.mptreasury.org पर जाकर भी प्रिंट की जा सकेगी।
3. उक्तानुसार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी प्रक्रिया का निर्धारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा की सहमति से किया जाएगा।
4. नागरिक सुविधा केन्द्रो द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय की जा रही सेवा हेतु सेवा शुल्क निरंक रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रं 2891/3136/2017/ई/चार भोपाल, दिनांक 4/12/17

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश।
4. महालेखाकार ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल ।
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
8. Chief Executive officer सी.एस.सी. इलेक्ट्रॉनिक निकेतन तीसरी मंजिल, 6 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली।
9. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग